



INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

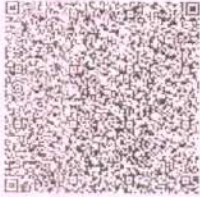
IN-UP73553083828437V

e-Stamp

12668

SHUBHAM SHARMA
ACC CO. UP14813004
MOB. 8171378333
MEERUT

Certificate No. : IN-UP73553083828437V
Certificate Issued Date : 17-Nov-2023 10:39 AM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14813604/ MEERUT SADAR/ UP-MRT
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1481360442699836128104V
Purchased by : SHANTI COLLEGE OF LAW
Description of Document : Article 35 Lease
Property Description : PROPERTY AT VILL KURALI DISTT MEERUT
Consideration Price (Rs.) :
First Party : SHANTI EDUCATIONAL SOCIETY
Second Party : SHANTI COLLEGE OF LAW
Stamp Duty Paid By : SHANTI COLLEGE OF LAW
Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,500
(One Thousand Five Hundred only)



B-STAMP

W
VERIFY

E-STAMP

X
LOCKED

Please write or type below this line

SavvabSavvab

IRD 0014815553

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate can be verified at www.e-stampstamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The user of checking the legitimacy for the purpose of this Certificate.
4. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.


DEEPAK VERMA
Deed Writer
Registry Compounding
Kitchery, Meerut
M.-9927202144, 7017063126


DEEPAK VERMA
Deed Writer
Registry Compounding
Kitchery, Meerut
M.-9927202144, 7017063126

ऊँ

किरायानामा/लीज डीड।

अवधि 30 वर्ष

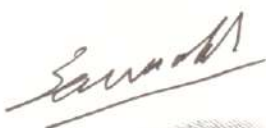
औसत वार्षिक किराया अंकन :- 12,000/- रुपये।
स्टाम्प शुल्क विकास शुल्क सहित :- 1,500/- रुपये द्वारा
ई-स्टाम्प संख्या **IN-UP73553083828437V** है।

हम कि शान्ति एजुकेशनल सोसायटी पैन नं० AAGTS
2651 D पंजीकृत कार्यालय बी-12, शान्ति विला शम्भू नगर
बागपत रोड मेरठ द्वारा वाईस चैयरमेन श्री सौरभ कंसल पुत्र श्री
सुशील कुमार कंसल निवासी बी-12, शान्ति विला शम्भू नगर
बागपत रोड मेरठ मो० नं० 9837098075....प्रथम पक्ष सम्पत्ति स्वामी।।

एवम्

शान्ति कॉलिज ऑफ लॉ द्वारा वाईस चैयरमेन श्री सौरभ
कंसल पुत्र श्री सुशील कुमार कंसल निवासी बी-12, शान्ति
विला शम्भू नगर बागपत रोड मेरठ पैन नं० AEFPK
1766 Q मो० नं० 9837098075.....द्वितीय पक्ष किरायेदार।।

जो कि सम्पूर्ण सम्पत्ति जिसमें नीचे की भूमि का क्षेत्रफल
6050 वर्ग मीटर जिसमें चार हॉल व छः कक्षा हॉल व मॉक
कोर्ट, प्रिंसिपल ऑफिस, लाईब्रेरी, टायलेट, (पु०/मु०), कवर्ड
एरिया 30000 वर्ग फुट यानि 2787 वर्ग मीटर है मध्ये खसरा
नं० 37 में निर्मित है, स्थित ग्राम कुराली परगना तहसील व
जिला मेरठ प्रथम पक्ष के स्वामित्व की है। उपरोक्त सम्पत्ति आज









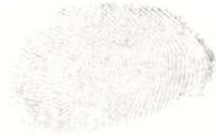
की तारीख तक हर प्रकार के ऋण एवं भार आदि से मुक्त तथा रहित है। द्वितीय पक्ष को शिक्षण कार्य हेतु उपरोक्त सम्पत्ति की आवश्यकता है जिसके लिए द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से उपरोक्त सम्पत्ति को 30 वर्ष के लिये किराये पर लेने की अपनी इच्छा जाहिर की है जिसको प्रथम पक्ष ने स्वीकार कर लिया है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त पोरशन को निम्न वितरण के अनुसार अंकन 12,000/- बारह हजार रुपये प्रति वर्ष किराये पर द्वितीय पक्ष को आगामी 30 वर्ष के लिए दे दिया है। अतः प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष व उनके उत्तराधिगण निम्नलिखित नियमों के पाबंद होते हैं :-

1. यह कि द्वितीय पक्ष की किरायेदारी दिनांक 01-10-2022ई0 से शुरू हो चुकी है। जो वर्ष दर वर्ष 30 वर्ष यानि दिनांक 29-09-2052ई0 तक चालू रहेगी। द्वितीय पक्ष प्रत्येक माह की 05 तारीख तक एडवांस के रूप में प्रथम पक्ष को किराये अदा करने के पाबन्द व जिम्मेदार रहेंगे यदि किरायेदारी के दौरान उपरोक्त पोरशन में कोई टूटफूट होती है तो उसको ठीक कराने की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष किरायेदार की होगी।

2. यह कि सम्पूर्ण सम्पत्ति की बाबत जो भी शैक्षिक कार्य से सम्बन्धित मेन्टीनेन्स होगा उसको द्वितीयपक्ष किरायेदार अदा करने के पाबन्द रहेगे तथा उपरोक्त पोरेशन की बाबत रंग रोगन आदि की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

3. यह कि द्वितीय पक्ष ने 1 वर्ष का किराया अंकन 12,000/- बारह हजार रुपये एडवांस के रूप में प्रथम पक्ष को अदा कर दिये है। जो उपरोक्त पोरशन की किरायेदारी की समाप्ति के समय समायोजित करने के प्रथमपक्ष पाबन्द रहेगे।



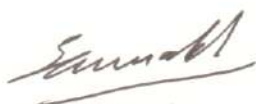
4. यह कि अगर द्वितीय पक्ष 2 वर्ष का किराया नहीं देते हैं तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से 2 वर्ष का किराया प्राप्त करके उपरोक्त सम्पत्ति को खाली करा लें। जिसमें द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

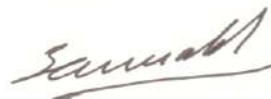
5. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को उपरोक्त पोरशन को इस्तेमाल करने के लिए मौके पर खाली का कब्जा दे दिया है और द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त वर्णित पोरशन का कब्जा मौके पर प्राप्त कर लिया है। आज के पश्चात द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति को अपने शिक्षण कार्य के व्यवसाय के लिये इस्तेमाल करने के अधिकारी होंगे।

6. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति में बिजली कनेक्शन प्रथम पक्ष के नाम से लगा है। द्वितीय पक्ष उक्त कनेक्शन को इस्तेमाल करने के अधिकारी होंगे तथा प्रयोग होने वाली बिजली के बिल का भुगतान द्वितीय पक्ष किराये से अलग विद्युत विभाग को समय-समय पर अदा करने के पाबन्द रहेंगे। यदि द्वितीय पक्ष उक्त पोरशन में लगे बिजली कनेक्शन में अतिरिक्त किलो वाट बढ़ाना चाहेंगे तो ऐसी परिस्थिति में प्रथमपक्ष की सहमति लेकर अतिरिक्त लोड बढ़वाने के पाबन्द रहेगे।

7. यह कि यह किरायानामा 30 वर्ष के लिये प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया है। 29 वर्ष के पश्चात यानि किरायेदारी की अवधि समाप्त होने के पश्चात उपरोक्त पोरशन का कब्जा द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को देने के पाबन्द रहेंगे। द्वितीय पक्ष उपरोक्त वर्णित पोरशन में किसी अन्य व्यक्ति को उसमें शिकमी या सबलेट किरायेदार आबाद नहीं करेंगे।

8. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति की बाबत जो भी हाउस टैक्स, वाटर टैक्स आयेगा उसको प्रथम पक्ष अदा करने के पाबन्द रहेंगे तथा उपरोक्त पोरेशन में द्वितीयपक्ष द्वारा शिक्षण कार्य की बाबत जो भी टैक्स आदि होगा उसको द्वितीय पक्ष अदा करने के पाबन्द रहेगे।






9. यह कि उपरोक्त पोरशन से सम्बन्धित एम0डी0ए0 व अन्य सरकारी विभाग द्वारा कोई टैक्स या अन्य देनदारी या कोई कार्यवाही होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी तथा उसका निस्तारण भी प्रथमपक्ष करने के पाबन्द रहेगे।

10. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति में कोई तोड़फोड़ या आधारभूत परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि उपरोक्त पोरशन में द्वितीय पक्ष कोई तोड़फोड़ या कोई परिवर्तन करते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष की सहमती लिया जाना आवश्यक होगा।

11. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति को केवल अपने शिक्षण कार्य के व्यवसाय के रूप में प्रयोग करेंगे द्वितीय पक्ष उपरोक्त पोरशन में कोई अवैधानिक कार्य नहीं करेंगे। द्वितीय पक्ष द्वारा उपरोक्त पोरशन में यदि कोई अवैधानिक कार्य किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी प्रथम पक्ष से उसका कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं होगा।

12. यह कि यदि द्वितीय पक्ष किरायेदारी अवधि 30 वर्ष से पूर्व समाप्त करते हैं तो ऐसी विशेष परिस्थिति में द्वितीय पक्ष दो माह पूर्व का नोटिस प्रथम पक्ष को देने के पाबन्द रहेगे तथा उपरोक्त पोरशन की बाबत शेष किराया यदि कोई बकाया है तो व बिजली बिल आदि को द्वितीयपक्ष अदा करने के पाबन्द रहेगे।

13. यह कि उपरोक्त पोरशन में चलाये जा रहे शिक्षण कार्य से सम्बन्धित समस्त सरकारी व गैरसरकारी की कोई भी देनदारी होगी तो उसको अदा करने की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। प्रथमपक्ष का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं होगा।






14. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति को अपने शिक्षण कार्य के व्यवसाय हेतु प्रयोग करेंगे अन्य कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे उपरोक्त सम्पत्ति की बाजारी कीमत में किसी प्रकार की कोई हानि उत्पन्न हो।

15. यह कि लीज डीड के अवधि के अन्तर्गत धारा 108 बी0 जैड ट्रॉन्स्फर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट0 के अनुसार द्वितीय पक्ष लीज गृहिता को अधिकार होगा कि वह किसी भी बैंक या संस्था को भूमि के लीज राईट्स व द्वितीय पक्ष लीज राईट्स द्वारा किये गये निर्माण के स्वामित्व व राईट्स को मोरगेज करे, लोन ले, लीज अवधि की समाप्ती से पूर्व लीज गृहिता लोन को चुकता करने के पाबन्द रहेगे। जिसमें प्रथम पक्ष की सहमति या रजामन्दी की आवश्यकता नहीं होगी।

16. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष व उनके उत्तराधिकारीगण उपरोक्त सभी नियमों को मानने के लिए बाध्य रहेंगे। अतः यह किरायानामा मियादी 30 वर्ष का लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो और समय पर काम आवे। इति।।



 Amit


 Sanjay
सा. झांगत
श्री. सानपाल
पांचली खुर्दके

दिनांक :- 18-11-2023ई0।। मसविदा श्री दीपक वर्मा दस्तावेज लेखक मेरठ।

DEEPAK VERMA
Deed Writer
Registry Compound,
Kitchery, Meerut
M.-9927202144, 7017063126